





फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद
दिनांक :- 25.04.2024

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-83/24 धारा-302 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 25.04.2024 को मु0अ0सं0-83/24 धारा-302 भादवि में वांछित अभियुक्त सुखवीर पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम नगला मघार पो0 कुरार थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारसूत 315 बोर बरामद किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुखवीर पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम नगला मघार पो0 कुरार थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 21.04.2024 को वादी मुकदमा श्री कुलदीप पाल के घर बहद ग्राम रामदत्त नगर कोतवाली मोहम्मदाबाद में समय करीब शाम 23.30 बजे वादी की बहन ममता को उसके पति सुखवीर पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम नगला मघार पो0 कुरार थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ द्वारा अन्य अज्ञात साथी के साथ मारपीट कर गोली मारकर घायल कर देना व सीएचसी मोहम्मदाबाद ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर देने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा श्री कुलदीप पाल पुत्र महेश सिंह निवासी रामदत्तनगर थाना मोहम्मदाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.04.2024 को मु0अ0सं0 83/24 धारा 302 भादवि बनाम सुखवीर पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम नगला मघार पो0 कुरार थाना मेरापुर व अन्य साथी नाम व पता अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पत्नी ममता बात बात पर मुझसे झगड जाती थी। जब मैं शराब पी लेता था तो और ज्यादा झगडती थी। कई बार झगडे के बाद अपने पिताजी के घर चली जाती थी। करीब आठ महीने पहले मेरा झगडा हुआ था। तबसे ममता मेरे घर नहीं गयी थी। कुछ दिन किराये पर कमरा लेकर फर्रुखाबाद में अकेले रही। मैने अपनी पुत्री की शादी तय कर दी थी। इस बात पर करीब एक सप्ताह पहले ममता मुझसे लडने लगी और कहने लगी कि मेरी बेटी अभी नाबालिग है मैं अभी शादी नहीं करूंगी। इस बात पर हम दोनों में झगडा हुआ और ममता गुस्सा होकर बच्चों को लेकर अपने पिता के घर ग्राम रामदत्तनगर चली गई। इसी कारण मैने अपनी पत्नी से तंग आकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारसूत 315 बोर

अभियुक्त सुखवीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0-83/2024 धारा-302 भादवि व 3/25 A.Act कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबा पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 मनोज कुमार भाटी
2. उ0नि0 राहुल सिंह
3. का0 सुनील कुमार
4. का0 अरविन्द कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़





